

**HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN AT
JODHPUR**

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 2929/2026

Rahul Alias Sahil S/o Sh. Bali Singh, Aged About 18 Years, Ward No 31, Gali No. 04 Adarsh Nagar, Shri Muktsar Sahib Punjab.
(Lodged In District jail Hanumangarh)

-----Petitioner

Versus

State of Rajasthan, Through PP

-----Respondent

Connected With

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 2930/2026

Boby S/o Kala Ram, Aged About 25 Years, Gali No 01 Near Johadi Temple, Premnagar Abohar, District Fazilka.
(Lodged In District Jail Hanumangarh)

-----Petitioner

Versus

State of Rajasthan, Through PP

-----Respondent

For Petitioner(s)	:	श्री अचला राम
For Respondent(s)	:	श्री हनुमान प्रजापति, लोक अभियोजक

HON'BLE MR. JUSTICE PRAVEER BHATNAGAR

Order

23/03/2026

प्रार्थी/अभियुक्तगण की ओर से अपनी नियमित जमानत पृथक-पृथक जमानत आवेदन भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 483 के अन्तर्गत पुलिस थाना- हनुमानगढ जंक्शन, जिला- हनुमानगढ में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या- 65/2026, अपराध अन्तर्गत धारा 8/21, 8/29 स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम में पेश किया गया है।

प्रार्थी/अभियुक्तगण के विद्वान् अधिवक्ता का तर्क है कि प्रार्थी/अभियुक्तगण को 8/21 एन.डी.पी.एस. एक्ट के अंतर्गत झूठा संबद्ध किया गया है। प्रकरण में बरामदशुदा अवैध मादक पदार्थ स्मैक की मात्रा कुल

188 ग्राम है, जो कि वाणिज्यिक मात्रा की श्रेणी में नहीं आता है, जिससे धारा 37 एनडीपीएस एक्ट के प्रावधान लागू नहीं होते हैं। प्रार्थी/अभियुक्तगण के विरुद्ध पूर्व में कोई प्रकरण पंजीबद्ध होना नहीं पाया गया है। प्रार्थी/अभियुक्तगण दिनांक 30.01.2026 से अभिरक्षा में चल रहे हैं। प्रकरण के अनुसंधान/विचारण में लंबा समय लगने की संभावना है। अतः प्रार्थी/अभियुक्तगण को जमानत का लाभ दिया जाए।

विद्वान् लोक अभियोजक द्वारा जमानत आवेदन का विरोध किया गया।

बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रकरण के गुणावगुणों पर कोई टिप्पणी आक्षेपित नहीं है। इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए कि प्रार्थी/अभियुक्तगण से बरामदशुदा मादक पदार्थ की मात्रा वाणिज्यिक मात्रा नहीं है जिससे धारा 37 एनडीपीएस एक्ट के प्रावधान लागू नहीं होते हैं। प्रार्थी/अभियुक्तगण के विरुद्ध पूर्व में कोई प्रकरण पंजीबद्ध होना नहीं पाया गया है तथा वे दिनांक 30.01.2026 से अभिरक्षा में चल रहे हैं, प्रकरण के अनुसंधान/विचारण में लंबा समय लगने की संभावना है। अतः उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए यह न्यायालय प्रार्थी/अभियुक्तगण का जमानत आवेदन स्वीकार किए जाने योग्य समझता है।

परिणामतः प्रार्थी/अभियुक्तगण **राहुल उर्फ साहिल पुत्र बाली सिंह व बॉबी पुत्र कालाराम** की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन पत्र स्वीकार किया जाता है आदेश दिया जाता है कि यदि प्रत्येक प्रार्थी/अभियुक्त इस मामले में विद्वान विचारण न्यायालय के संतोषप्रद, उनके न्यायालय में नियत तिथियों पर एवं जब भी उसे तलब किया जावे, उपस्थिति हेतु पचास हजार रुपये का व्यक्तिगत बंधपत्र व पच्चीस-पच्चीस हजार रुपये की दो सुदृढ़ एवं विश्वसनीय प्रतिभूतियां प्रस्तुत करे तथा उसकी किसी अन्य प्रकरण में आवश्यकता न हो, तो अविलम्ब जमानत पर रिहा कर दिया जावे।

(PRAVEER BHATNAGAR),J